झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/88/18– 48 ,राँची/दिनांकः 29/06/2019

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु 8वीं एवं 10वीं कक्षा में प्राप्तांक आधारित मेधा–सूचियों एवं उसके आधार पर आयोजित की जाने वाली प्रथम् साक्षात्कार से संबंधित

<u>सांकेतिक सूचना</u>

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या जे.सी.ई.सी.ई.बी. 88/18–13 दिनांक 02.05.2019 के आलोक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन हेतु 8वीं एवं 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों द्वारा दिनांक–03.05.2019 से दिनांक–25.06.2019 तक ऑन–लाईन आवेदन पत्र भरा गया है। उक्त निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर पर्षद द्वारा 8वीं एवं 10वीं कक्षा के लिये तैयार की जाने वाली कक्षावार औपबंधिक(Provisional) मेधा–सूचियॉ, 8वीं एवं 10वीं कक्षा के लिये अलग–अलग, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http//jceceb.jharkhand.gov.in में Home page पर दिनांक 29. 06.2019 को जारी कर दिया गया है। उक्त औपबंधिक [redacted] मेधा–सूचियों में शामिल किसी भी उम्मीदवार को नाम, कोटि, जन्म–तिथि, आठवीं कक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत (8^{th} Class obtained marks %), दसवीं कक्षा के प्राप्तांक का प्रतिशत (10^{th} Class obtained marks %) इत्यादि प्रविष्ठियों में कोई त्रुटि/गलती लगे तो उसके संशोधन के लिए दिनांक 02.07.2019 तक ई–मेल jceceb@gmail.com पर या पर्षद कार्यालय में हाथों–हाथ आवेदन दे सकते हैं जिसके आधार पर पर्षद द्वारा संशोधनोपरान्त दिनांक 03.07.2019 को संशोधित एवं अंतिम रूप से कक्षावार मेधा–सूचियॉ जारी की जायेगी।

आवेदक आठवीं एवं/या दसवीं कक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत की पुर्नजॉच निश्चित रूप से कर लें क्योंकि **"औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में नामांकन से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना"** से संबंधित विज्ञापन (जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/88/18–13 दिनांक–02.05.2019) की कंडिका –2 के आलोक में वैसे आवेदकों जिनके द्वारा प्राप्तांक प्रतिशत कॉलम में गलत Percentage of Marks भरा गया है तो उन्हें सीटें खाली रहने की स्थिति में, सबसे अंत में मौका दिया जायेगा।

पर्षद द्वारा संशोधित एवं अंतिम रूप से प्रकाशित मेधा–सूचियों के आधार पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष–2019–20 में विभिन्न व्यवसायों में नामांकन के लिये दिनांक 08.07.2019 से दिनांक 16.07.2019 तक प्रथम् साक्षात्कार आयोजित की जायेगी जिससे संबंधित विस्तृत जानकारी/सूचना पर्षद के अधिकृत वेबसाईट पर दिनांक 04.07.2019 को भारित (upload) की जायेगी।

साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों को, साक्षात्कार के समय, निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की मूल प्रति (Original copy) तथा उसकी एक–एक छायाप्रति (Xerox) जो कि स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) हो, साथ में लाना अनिवार्य है। वांछित प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की सिर्फ छायाप्रति (Xerox) या फैक्स कॉपी (Fax Copy) उपलब्ध कराने पर, उनकी मान्यता नहीं दी जाएगी और ना ही इस आधार पर सीट/व्यवसाय/संस्थान का आबंटन किया जाएगा।

(क) आठवीं कक्षा परीक्षा का अंक पत्र तथा सबंधित विधालय के प्राध्यानाध्यपक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जिसमें अभ्यर्थी का जन्म तिथि अंकित हो, (ख) दसवीं/माध्यमिक/समकक्ष परीक्षा का प्रवेश–पत्र, अंक पत्र तथा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र, (ग) औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित संशोधित एवं अंतिम मेधा–सूची की अधःभारित (Download) प्रति (घ) झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त {Deputy Commissioner} द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, (ङ) झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में झारखण्ड राज्य के अंचल अधिकारी (Circle Officer) या अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र (आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में)।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के पत्रांक–14/जा0नि0–03–13/2015/का0–1754 दिनांक–25.02.2019 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर

के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा। **(च)** दिव्यांग अभ्यर्थियों को चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा निर्गत तथा चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण–पत्र **(छ)** पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ की एक प्रति।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त (घ) एवं (ङ) में वर्णित प्रमाण–पत्र/पत्रों, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण पत्र/पत्रों **तथा** नये विहित प्रपत्र में ऑनलाईन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/व्यवसाय/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/उनके अभिभावक केवल पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http//jceceb.jharkhand.gov.in के सम्पर्क में रहें।

(दिलीप कुमार झा, भा.प्र.से.)
परीक्षा नियंत्रक